न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

प्रकरण क्रमांक /2015 पुनरीक्षण

1. देवीसिंह पुत्र स्व0 कप्तानसिंह
   आयु 60 वर्ष व्यवसाय कृषि
2. बेतालसिंह पुत्र स्व0 कप्तानसिंह
   आयु 55 वर्ष व्यवसाय कृषि
3. मेहतावसिंह पुत्र स्व0 कप्तानसिंह
   आयु 51 वर्ष व्यवसाय कृषि
4. राजेन्द्रसिंह पुत्र स्व0 कप्तानसिंह
   आयु 48 वर्ष व्यवसाय कृषि

निवासीगण ग्राम तिलैथा जागीर, तेहसील व जिला ग्वालियर म0प्र0

.........आवेदकगण

बनाम

कृष्णकुमार अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री जगन्नाथप्रसाद अग्रवाल निवासी पंजाब एण्ड सिंध बैंक के पीछे, जयेन्द्रगंज, लश्कर, ग्वालियर

पुनरीक्षण आवेदन अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 विरुद्ध आदेश दिनांक 05.10.2015 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व झांसी रोड, जिला ग्वालियर क्रमांक क्यू/रीडर/विविध/2015 व उन्वान कृष्णकुमार अग्रवाल

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3938–पीबीआर / 2015 जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13–4–2016	उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार को प्रश्नाधीन भूमि से नियमानुसार अतिकमण हटाने के संबंध में कार्यवाही करने के लिए प्रशासकीय पत्र लिखा है, जिसके विरूद्ध आवेदकगण द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गई है । प्रशासकीय कार्यवाही अथवा प्रशासकीय स्वरूप के आदेश के विरूद्ध संहिता की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी प्रतिबंधित है। इसके अतिरिक्त तहसीलदार के समक्ष अभी अतिकमण का प्रकरण प्रचलित है, जहां आवेदकगण को अपना पक्ष रखने का अवसर उपलब्ध है । उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी निरस्त की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	